2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज विजय चौधरी बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 146 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.11.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विजय चौधरी पता गांव व पोस्ट भटिण्डा वाया बनाड़ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.08.2017 में उसके द्वारा (1) संवत् 2064 से संवत् 2074 तक ग्राम भटिण्डा में स्वीकृत व वितरित किए गए कृषि अनुदान (फसल खराबा मुआवजा) की सूची की प्रमाणित प्रति , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	